

ORDER SHEET (Contd)

610-58/26

Case No.....of.....

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of presiding officer	Signature of parties or pleaders where necessary
14/3/26 14/3/26	आज नेशनल लोक अदालत (विद्युत अधिनियम के प्रकरण) का आयोजन होने से विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 58/26 लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक 03 में निराकरण हेतु प्रस्तुत। परिवादी की ओर से अधिकृत अधिकारी श्री <u>अशोक कुमार</u> सहाय/कनिष्ठ सहित श्री <u>सुनील पांडे</u> अधिवक्ता। अभियुक्त स्वयं/सहित श्री <u>शिवकुमार</u> अधिवक्ता। उभय पक्षों ने स्वेच्छया आपसी राजीनामा किया जाना व्यक्त किया। अभियुक्त के विरुद्ध राशि 25557 रुपये की विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग कर वित्तीय लाभ प्राप्त किये जाने से धारा 135/138/126 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के लिए पंचनामा क्रं. <u>SH.20260.1746.12</u> प्रकरण प्रस्तुत किया है। आज नेशनल लोक अदालत में अभियुक्त के द्वारा छूट उपरांत राशि <u>25557</u> रुपये विद्युत शुल्क तथा समन शुल्क <u>500</u> रुपये एवं ब्याज <u>—</u> रुपये सहित कुल <u>25557</u> रुपये का भुगतान कर दिया है। अब कोई लेने देन शेष नहीं होना व्यक्त किया। पक्षकार की पहचान उनके अधिवक्ता ने किया है। राजीनामा उभय पक्षों ने स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी डर दबाव के किया है जो विधि अनुसार है। उभय पक्षों ने कोई लेने शेष नहीं व्यक्त किया है। तस्दीक करने के पश्चात् राजीनामा स्वीकार कर अभियुक्त को धारा 135/138/126 विद्युत अधिनियम 2003 के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है। प्रकरण का परिणाम अंकित कर संबंधित न्यायालय के माध्यम से प्रकरण अभिलेखागार में किया जावे।  पीठासीन अधिकारी सिवनी लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक सिवनी	<u>शिवकुमार</u> <u>अशोक कुमार</u> ब. प्र. पु. क्षे. वि. वि. क. सि. बंडोच